विन्द्रसं ०-०३

Form - 1
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector: Nainital

Date -- 7/1/14/18

No OIL PMD.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of india's letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District falls within Jurisdiction of Nadgal Village in Dhari Tehsil.

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

कता बगान वस्य

GIEGIS

Signature

(Full name of the official seal of the District collector)

जिलाधिकारी कैनीवान

It is further certified that

N. 460		Remarks
S.No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

चवा वनार्व करवान बांधवार

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी बैनीताल.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

चिया स्वास करवास स्वितारो वैजीतास

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.

जिलाधिकारी नैनीताल. परियोजना का नाम-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अनुस्चित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत । प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति भट्टालिगाँगाव - रामिश्राप - नद्याली उपखण्ड हम्सी मरिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्गत का म साम्पादा कार्य के कार्यात हैं। आरक्षित वन भूमि, 33 हैं। सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि गार्न हैं। अथित कुला 33 है। वन भूमि) का कार्या जीव नि कि नाम प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील......) की दिनांक (कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के कार्यनिय उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्षतामें ओयोजित श्री अवस्था का उपिस्थिति निम्नानुसार है।
 श्री अवस्था उपिलाधिकारी का स्थाप अध्यक्ष अध्यक् अध्यक्ष अ

की गई। बैठक् में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

2. श्री रहेन हा उप प्रभागीय वनाधिकारी चेना लाल सदस्य

3. श्री अत्मान कत्याण अधिकारी, सदस्य / सचिव

4. श्री प्राचना थेड ने में बी डी सी क्षेत्र अहती किमामान र सदस्य र में ने ने ने ने ति ति हैं कि सामान उपखण्ड सिवव द्वारा गाननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यदाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हैं। हैं। वन भूमि अस्तान के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम राभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..

1.6

परियोजना के निर्माण हेतु। 33 हैं हैं वनभूमि आर्जार यह बीजिन विश्व प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, तहसील- क्रीनीताल

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ry

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, तहसील- र्जारी जनपद- नैनीताल। वैर्याताता का नाम .-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापतित प्रमाण-पत्र

ग्राम प्रचायत का नाम - अह्ताकिमांग्य रिकाम्बर्धम् - नद्राण -

अनापत्ति प्रभाग पत्र

सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किरी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया नया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आदेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम महत्वाक प्राम्य को ग्रामवासियों को उवल वन भूमि 1/35 है 9 प्रयोदनी एकोंसी को परियोजना

के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हाज पंचायत महनोजिया गाँव विकास (१६६८) (नेनीताक) ग्राम अधान

प्राच्या स्थाप द्वार व्याचित्राक्षात्र ।

नार प्राप्ति किसी समितिकासी अथवा वनवानी का निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो उद्गुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उन्नर प्रतन्न प्रभोतता ', जेली के हार प्राप्त कर प्रस्ताद के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1 दिनांक 11 . 12 10 को ग्राम सभा की सम्पना बैठक की उपस्थिति भहता किञ्चार्गान . राजा (नका) प्रान्त है। देव जि ग्राम पंचायत....

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नन्दिकिशोर ००	7,610211
2.	11 PIN 5-101 V	2117 00 202
3	Tetivor Galus	्राप्टीया-प्रकारिय
4	1814296	वादा ८९००
9	a har one o	2713/45
6.	अध्यादां भारती	क अध्वदेव दिशेषा
7	केर्दिन मान्य । दर्भाव । व्यावता	
3	-0	1 2 2
1	≛ी टव	1380
to		1811
N	वेह्यत्रश	ora contra
u	लाजीश कर	Gles
US	बर्श भ	1 - Mores A
N	SA My	1.8 mas 01814
IN	लारायत रू	TIRIF
	बेश्वयम्	100m012 to
	अलीज जीकी	- Cont
	4 personner	7
	पार्थ निर्मालक (क)	ett Air A
	े देवेद मिथि अंगदरा	-366
	े द्वन्द्वाया	Charles To De
	21010 (21)2	1,99
	A THOWARD	700
	219-9-6 जिसी	and a
	हरीश चरन जाम	9 = 10 04
j	मुनी देवी	Again the same of
	मधाल,	Michigan See
L	वाम पंचायत महलोजिया गांव	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	विकास बन्द, भूर्म (स्वांताक)	Same (Same) Same Garage Continues
	form	